

पंजीकृत के लिए
कोई एक से अधिक

प्रारम्भ की
की प्रतिलिपि
करने की ति

Date fixed

एक को प्रतिलिपि
ने की तारीख

Date of making

Date of Application
in the copy

Date on which the copy
was ready for delivery

Date on which the copy
was ready for delivery

Date on which the copy
was ready for delivery

Date on which the copy
was ready for delivery

FOLD NOT AVAILABLE

अपने प्रतिलिपि अंतिम प्रतिलिपि प्रतिलिपि के अंतर संख्या

1438

प्लॉट नं० 179, प्लॉट नं० 4, जमशेदपुर अधिवृत्ती क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

Jai Shri Mahalaxi

M/s. DAYAL BUILDERS

Proprietor

M/s. DAYAL BUILDERS

Proprietor

अधिकार की प्रमाण सं०	अधिकारी का नाम पिता का नाम पत्नी और पिता	प्लॉट		भूखे का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अशुद्धि	स्वाम्यधारी का नाम और उसकी शेयर संख्या		(१) अधिकारी केवल का है। (२) स्वाम्य धारक द्वारा किया गया, नतीजा (प्रतिष्ठित हो को प्रतिलिपि) (३) कोई विशेष शर्त और आवश्यकता नहीं है।
		संख्या	सीधरी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित लगाव। 1 लगान 2 सेव	सम्बन्धित अधिकार कवि हो 1 लगान 2 सेव	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	श्री 1438	1438		आंगन	0.00.34				
	बहाल	6		मकान पकम	0.02.35				
	बहाल	7		आंगन	0.00.14				
	बहाल	8		मकान पकम	0.01.60				
					0.01.60		48.83		
							डा. डाली		

मालिक

तुलना किया

19/2/14

Certified to be true copy

19/2/14

is sufficient under the provisions of the Indian Evidence Act, 1908.

यह प्लॉट अधिनियम के अन्तर्गत...
1908 के अन्तर्गत...
स्वाम्यधारी का नाम और उसकी शेयर संख्या...
किसी विशेष शर्त और आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवेदन के लिए
अवेक की तारीख

प्रत्यक्ष और
की उपस्थिति
करने की दि.

उस की प्रतिवेदन
के की तारीख

19/12/14

Date of application
for the copy

Date fixed
the requisite
stamps and folios

requisite stamp & folios

Date on which the copy
was ready for delivery

Date of mailing
over the copy to
the applicant

19/12/14

19/12/14

19/12/14

19/12/14

19/12/14

FOLIO NOT AVAILABLE

किसी प्रतिवेदन अंतिम प्रकाशित खतियान के खेतरा संख्या 1438

खतियान संख्या 179

पार्स सं० 4 पुनःपुनः जमरोदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की अवधि सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा है० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वाम्याधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो		(1) अधिधारी रकबत कर हेरियत और कम्पे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आपोही (प्रोविडेंट हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्तें और अनुबंधन बाल यदि हो।
		खेतरा संख्या	बोहदी				गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लॉट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		
							राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित लगान। 1 लगान 2 सैस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सैस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	जोगेंद्र नाथ बहादुर सिन्हा हरनारी लाल बहाबन	1438 2 6 1 2		झांगन मकान पकम झांगन मकान पकम	0.00.34 0.02.35 0.00.17 0.01.60				
					0.04.52	48-83 डा. तालीन - डायल गैर नगदी रकबत कर है।			0 डीर नगदी

Proprietor
 M/s. DAYAL BUILDERS
 19/12/14

M/s. DAYAL BUILDERS
 19/12/14
 Proprietor

प्रामाणिक
 19/12/14

तुलना किया

Certified to be true copy
 19/12/14
 Head Clerk to the Sub-division office
 is authorized U/s 78 of the
 Indian Evidence Act. 1972

नर नरक अधिनियम के अन्तर्गत 1908 का भाग 83(2) के अन्तर्गत प्रमाण
 नगरपालिका अधिनियम अधिनियम 1920 की धारा 100
 के अन्तर्गत किया हुआ और इसका प्रमाण प्रमाण
 19/12/14 को किया गया
 प्रमाण प्रमाण प्रमाण का दिनांक 19/12/14
 को प्रमाणित हुआ

Virender Kumar